




बिहार शिक्षा परियोजना परिषद्  
Bihar Shiksha Pariyojana Parishad  
(जिला स्तरीय कार्यालय, पटना)



हिन्दी ग्रंथ अकादमी परिषद्, प्रेमचन्द पथ, राजेन्द्र नगर, पटना-800016

दिनांक :- 15/02/2023

पत्रांक : 437  
सेवा में,


सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी,  
सभी विद्यालय अवर निरीक्षक,  
जिला- पटना।

विषय :- बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम की धारा 12 (1) (C) के तहत शैक्षिक सत्र 2023-24 में निजी विद्यालयों में प्रथम प्रवेश कक्षा के कुल निर्धारित सीटों के 25 प्रतिशत आरक्षित सीटों पर नामांकन के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम की धारा 12 (1) (C) के तहत शैक्षिक सत्र 2023-24 में पटना जिला के सभी मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों (अल्पसंख्यक विद्यालयों को छोड़कर) के प्रथम प्रवेश कक्षा के कुल निर्धारित सीटों के 25 प्रतिशत आरक्षित सीटों पर अलाभकारी/अभिवंचित वर्ग के बच्चों का नामांकन लिया जाना है। निजी विद्यालयों में समान्य बच्चों के नामांकन की प्रक्रिया जनवरी माह से ही प्रारम्भ कर दी गई है एवं विद्यालयों के प्रथम प्रवेश कक्षा में कुल सीटों का निर्धारण भी किया जा चुका है। उपरोक्त परिपेक्ष में पटना जिला के सभी मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों (अल्पसंख्यक विद्यालयों को छोड़कर) के प्रथम प्रवेश कक्षा के कुल निर्धारित सीटों के 25 प्रतिशत आरक्षित सीटों पर अलाभकारी/अभिवंचित वर्ग के बच्चों का नामांकन निर्धारित समय सीमा के अंदर लिया जाना अनिवार्य है। शैक्षिक सत्र 2023-24 में आरक्षित सीटों पर नामांकन हेतु आवश्यक दिशा निदेश निम्न प्रकार है-

- शैक्षिक सत्र 2023-24 में आरक्षित सीटों पर नामांकन हेतु विद्यालय के पोषक क्षेत्र में विद्यालय के द्वारा दिनांक 20.02.2023 से 04.03.2023 तक प्रचार-प्रसार कर सभी लाभूक वर्ग के लोगों को सूचित किया जायेगा। उक्त अवधि में विद्यालय प्रबंधन अपने विद्यालय के सूचना पट्ट पर सूचना चस्पा करेंगे एवं आवश्यकतानुसार नामांकन सूचना से संबंधित बैनर/फ्लैक्स लगाकर अभिवंचित एवं अलाभकारी समूह के बच्चों के नामांकन हेतु उक्त कोटि के अभिभावकों को प्रेरित किया जायेगा।
- विद्यालय के पोषक क्षेत्र में रहने वाले बच्चों का नामांकन फार्म भरने की तिथि दिनांक 09.03.2023 से दिनांक 18.03.2023 निर्धारित की गयी है। उक्त अवधि में अपने विद्यालय के प्रथम प्रवेश कक्षा की अर्हताओं के अनुसार विद्यालय प्रबंधन नामांकन के लिए इच्छुक छात्र-छात्राओं का नामांकन प्रपत्र उपलब्ध करवाकर भरवायेंगे। नामांकन प्रपत्र के साथ ही निर्धारित प्रमाण-पत्र यथा आवासीय प्रमाण-पत्र, जाति प्रमाण-पत्र, आय प्रमाण-पत्र आदि जमा किया जाना है। यदि अभिभावकों के द्वारा उक्त प्रमाण-पत्र जमा नहीं किया जाता है, तो बच्चे का नामांकन प्रपत्र इस शर्त के साथ जमा किया जायेगा कि आवेदक निर्धारित समयावधि में आवश्यक प्रमाण-पत्र विद्यालय को अवश्य उपलब्ध करवा देंगे।
- विद्यालय द्वारा निर्धारित सीटों पर नामांकन हेतु बच्चों का चयन दिनांक 20.03.2023 से दिनांक 25.03.2023 तक किया जायेगा। विद्यालय द्वारा निर्धारित सीटों पर नामांकन के विरुद्ध प्राप्त आवेदनों की संख्या अधिक होने की स्थिति में विद्यालय प्रबंधन द्वारा लॉटरी निकालकर बच्चों का चयन किया







बिहार शिक्षा परियोजना परिषद्  
Bihar Shiksha Pariyojana Parishad  
(जिला स्तरीय कार्यालय, पटना)




हिन्दी ग्रंथ अकादमी परिषद्, प्रेमचन्द पथ, राजेन्द्र नगर, पटना-800016

पत्रांक : 437

दिनांक :- 15/02/2023

जायेगा। लॉटरी की पूर्व सूचना संबंधित विद्यालय अपने प्रखंड/अंचल स्तरीय कार्यालय को देंगे। प्रखंड/अंचल स्तरीय कार्यालय द्वारा नामित नोडल कर्मी की देखरेख में लॉटरी निकाली जायेगी। लॉटरी निकालने के समय कम से कम दो अभिभावक प्रतिनिधि (जिनके द्वारा आवेदन दिया गया है) भी उपस्थित रहेंगे।

- विद्यालय द्वारा चयनित छात्र-छात्राओं का नामांकन निर्धारित अवधि तक लेकर विद्यालय प्रबंधन प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को उपलब्ध करायेंगे, जो नामांकित बच्चों की सूची को विहित प्रपत्र में जिला स्तरीय कार्यालय को दिनांक 10.04.2023 के पूर्व उपलब्ध करवायेंगे।
- निजी विद्यालयों के निबंधन का कार्य दिनांक 22.07.2021 के उपरान्त e-Sambandhan पोर्टल के माध्यम से किया जा रहा है। प्रखंड स्तर पर मान्यता प्राप्त विद्यालय की सूची पोर्टल पर उपलब्ध है।
- प्रखंड/अंचल स्तर पर नामांकन प्रक्रिया प्रखंड/अंचल के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, विद्यालय अवर निरीक्षक अथवा उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि की देख-रेख में किया जायेगा। विद्यालय के संकुल संचालन केन्द्र समन्वयक नामांकन के प्रचार-प्रसार की तिथि से नामांकन लेने की तिथि तक विद्यालयों का अनुश्रवण एवं अनुसमर्थन आवश्यक सहयोग करेंगे। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी द्वारा नामित वरीय नोडल शिक्षक/कर्मी चयन/लॉटरी की तिथि को विद्यालयों का भ्रमण कर चयन/लॉटरी प्रक्रिया संपन्न करवायेंगे।
- प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी/विद्यालय अवर निरीक्षक दिनांक 10.04.2023 के पूर्व बच्चों के नामांकन के उपरान्त जिला स्तरीय कार्यालय को विहित प्रपत्र में बच्चों की सूची उपलब्ध करवायेंगे।


  
(श्याम नन्दन)

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी

प्रा०शि० एवं सर्व शिक्षा अभियान, पटना।

ज्ञापांक- 437 / पटना, दिनांक 15.02.2023


प्रतिलिपि- पटना जिला के सभी प्रस्वीकृति प्राप्त निजी विद्यालयों के प्राचार्य/निदेशक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित




जिला कार्यक्रम पदाधिकारी

प्रा०शि० एवं सर्व शिक्षा अभियान, पटना।

विश्वासभाजन,

  
(अमित कुमार) 15/2/23

जिला शिक्षा पदाधिकारी,  
पटना।

  
जिला शिक्षा पदाधिकारी,  
पटना।

